जे.डी.ए. के तत्कालीन सचिव सहित अन्य के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश

■ अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-2 महानगर, प्रथम ने जेडीए ट्रिब्यूनल के आदेश की अनदेखी व फर्जीवाडा करने से जुड़े मामले में आदेश दिये

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-2 महानगर, प्रथम ने जेडीए ट्रिब्यूनल के आदेश की अनदेखी व फर्जीवाडा करने से जुडे मामले में जेडीए के तत्कालीन सचिव उज्ज्वल राठौड, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी, जोन 9 प्रवर्तन नियंत्रक धर्मसिंह व उप प्रवर्तन नियंत्रक राजेश शर्मा के खिलाफ गांधी नगर पुलिस थाने को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश एचएस अडवानी के परिवाद पर दिए।

अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोपियों ने जेडीए अपीलीय अधिकरण के आदेश की अवहेलना कर नए सिरे से दुर्गा कुमारी के अतिक्रमण को वैध घोषित करने के लिए कार्यालय टिप्पणियां तैयार की। इससे परिवादी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

परिवाद में कहा कि उसे रेलवे मेन्स हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी की आनन्द विहार योजना में भूखंड संख्या-14 का पट्टा 19 जून 1994 को जारी किया था। वहीं उसकी खातेदारी से बाकी रही 2 बीघा 7 बिस्वा जमीन को 0.83 हैक्टेयर बताते हुए दुर्गादेवी ने पट्टा मांगा। जबकि उसे 0.59 हैक्टेयर जमीन का ही पट्टा मिल सकता था, लेकिन दुर्गाकुमारी को गलत तरीके से पट्टा जारी करने का आदेश हो गया। इसके खिलाफ परिवादी ने जेडीए में शिकायत की, लेकिन उसकी शिकायत के बाद भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।

वहीं जेडीए के अफसरों ने मिलीभगत कर एक फर्जी रिपोर्ट बनाई जिसमें अतिक्रमण नहीं होना बताया। इसके खिलाफ परिवाद दायर कर जेडीए के तत्कालीन अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आग्रह किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

72 घंटे पहले नोटिस दिए बिना होटल बिल्डिंग पर नहीं करें कार्रवाई : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली रोड पर स्थित कान्हा होटल पर कार्रवाई से 72 घंटे पहले नोटिस दिए बिना उसकी बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं करें। जस्टिस अशोक जैन की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश कान्हा होटल्स की ओर से दायर याचिका में पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि इस मामले में नियमित कोर्ट की ओर से विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। ऐसे में यह उचित नहीं है कि अवकाशकालीन कोर्ट प्रकरण के किसी पहलू पर विचार करे। अदालत ने कहा कि समाचार पत्र मे प्रकाशित समाचार के आधार पर होटल की बिल्डिंग को तोडने की आशंका मात्र पर यह प्रार्थना पत्र दायर किया गया है।

केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक कूकस के पास पांच सितारा होटल का निर्माण कर उसे ताज होटल्स को लीज पर दे दिया। याचिकाकर्ता ने जेडीए से वर्ष 2011 में नक्शे पास कराए थे, लेकिन तय अवधि में निर्माण आरंभ नहीं किया गया। होटल नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य से सिर्फ 95 मीटर दूर है। जबकि इससे एक किमी में इस तरह की गतिविधि नहीं हो सकती। ऐसे निर्माण के लिए पर्यावरण स्वीकृति लेनी होती है, लेकिन याचिकाकर्ता ने स्वीकृति नहीं ली। याचिकाकर्ता ने गत वर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के स्वीकृति लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसे बोर्ड ने गत 22 फरवरी को खारिज कर दिया। इसके बाद गत दिनों ईको सेनसेटिव जोन की मॉनिटरिंग कमेटी ने इसे तोडने के लिए जेडीए को लिखा। एएजी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ऐसा आदेश पेश नहीं, जिससे साबित हो की जेडीए होटल तोडने जा रहा है और जेडीए का पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने होटल पर कार्रवाई से 72 घंटे पूर्व नोटिस देने को कहा है।

उपमुख्यमंत्री से वार्ता के बाद परिवहन निरीक्षक संघ की हड़ताल समाप्त

उपमुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से शुक्रवार को परिवहन निरीक्षक संघ ने मुलाक़ात की।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से शुक्रवार को मुलाक़ात के बाद परिवहन निरीक्षक संघ की हड़ताल ख़त्म हुई। जिसके बाद सोमवार से परिवहन निरीक्षक काम पर लौट सकेंगे।

डॉ बैरवा ने अपने निवास पर परिवहन निरीक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वार्ता की जिसके परिणामस्वरूप निरीक्षक संघ ने हड़ताल ख़त्म करने का निर्णय लिया। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रदेश के हर एक कर्मचारी के हितों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उच्च मनोबल के साथ प्रदेश हित में कार्य करें। उन्होंने परिवहन निरीक्षक के साथ मारपीट मामले में सक्षम स्तर पर वार्ता कर दोषियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया ताकि भविष्य में इस तरह के कृत्यों की पुनरावृति को रोका जा सकें।

उपमुख्यमंत्री ने संगठन के पदाधिकारियों से विभाग में निरीक्षकों की उच्च पदों पर पदौन्नति के अवसरों की माँग पर भी सकारात्मक चर्चा की। उपमुख्यमंत्री ने सभी माँगो पर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। परिवहन निरीक्षक संघ ने उपमुख्यमंत्री की इस पहल और उनके सकारात्मक रूख के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए उनका आभार जताया।

इस मौके पर राजस्थान परिवहन संघ के अध्यक्ष राजेश चौधरी, महासचिव अनिल बसवाल सहित संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शुक्रवार को जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय पहुंचकर श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंहरोलसाहबसर का कुशलक्षेम जाना। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने ईश्वर से भगवान सिंह रोलसाहबसर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

जयपुर डिस्कॉम में 18 को अनुकम्पा नियुक्ति

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम में निगम के मृतक कर्मचारियों के 18 आश्रितों को अनुकम्पात्मक आधार पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है। सभी को अपने पदस्थापित स्थान पर आदेश जारी होने की तिथि से एक माह में कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए गए है।

निगम द्वारा 28 जून को जारी आदेश के अनुसार 11 को वाणिज्यिक सहायक द्वितीय, एक को सहायक द्वितीय एवं 6 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी गई है। सभी को दो वर्ष की परीवीक्षाकाल अवधि पर अस्थाई नियुक्ति दी गई है।

प्रभावशाली ऐग्री वैल्यू चेन फाइनेंसिंग के लिए सहयोगी डिजिटल प्रणालियों का विकास करें : मनोज आहूजा

जयपुर/दिल्ली। कृषि वित्तीय श्रृंखला में कृषि वित्त के महत्व पर विचार करते हुए, कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉ मनोज आहूजा ने प्रोडक्शन-केंद्रित दृष्टिकोण से मांग-प्रेरित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। "कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को समग्र रूप से विकसित करने और उन्हें वैश्विक बाजारों से एकीकृत करने के लिए, हमें अब उपलब्धि की कमी को सिर्फ पूरा करने के बजाय बाजार की मांगों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।"

उन्होंने कहा कि किविकास के लिए सहयोगी डिजिटल प्रणालियों को प्रभावी बनाने पर महत्व दिया और सभी हितधारकों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र नीति कार्यक्रम की आवश्यकता को उजागर किया।

इसके अलावा आहूजा ने तरलता और आर्थिक स्थिरता में सुधार के लिए बिल डिस्काउंटिंग, ब्रिज फाइनेंसिंग, और जोखिम संरक्षण जैसे वित्तीय उपकरणों, को प्रयोग में लाने की मांग की।

वित्त सचिव डॉ. विवेक जोशी, ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो ऐग्री वैल्यू चेन फाइनेंसिंग में समय पर क्रेडिट प्रदान करते हैं, और कृषि क्रेडिट की उपलब्धता में वृद्धि लाते हैं। "हमारा ध्यान इस पर है कि वैल्यू चेन के माध्यम से किसानों को समर्थन प्रदान करने के लिए समय पर क्रेडिट की सस्ती व सुलभ पहुंच सुनिश्चित करें," उन्होंने कहा। उन्होंने एनबीएफसी, फिंटेक और स्टार्टअप्स के महत्व को भी दर्शाया, जो उच्च मूल्यवान कृषि बाजारों में विशेष वित्तीय उत्पादों और आखिरी मील तक क्रेडिट की पहुंच प्रदान करते हैं।

नाबार्ड के चेयरमैन, के.वी. शाजी, ने किसानों के वित्त पहुंच में सुधार की अत्यावश्यकता पर जोर दिया और एसएचजी और एफपीओ के लिए विश्वसनीय डेटा उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को उठाया, क्योंकि बैंकों के लिए यह डेटा अवगत निर्णय लेने और प्रभावी मूल्य श्रृंखला वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की प्रोत्साहना की, जिसमें कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, और मार्केटिंग को भी शामिल किया गया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की शासन संरचना को मजबूत करने की भी जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि ये एकीकृत मूल्य श्रृंखला वित्त प्रणालियों की ओर ले जाएंगे।

एल.आई.सी. ने उपभोक्ताओं को किया आगाह

जयपुर, (का.सं.)। भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया कि कुछ समाचार लेखों और अन्य प्रकाशनों के अनुसार जो कुछ संस्थाओं द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के मौजूदा पॉलिसीधारकों द्वारा रखी गई पॉलिसियों को एलआईसी को सौंपने के विकल्प के रूप में (बिक्री/हस्तांतरण, असाइनमेंट या अन्यथा) अधिग्रहित करने की पेशकश करने वाले उत्पाद/सेवाओं से संबंधित हैं। एलआईसी ऐसी किसी भी संस्था या ऐसी संस्थाओं द्वारा पेश किए जा रहे उत्पादों और/या सेवाओं से संबद्ध नहीं है, और एलआईसी के पूर्व कर्मचारियों/कार्मिकों द्वारा दिए गए कोई भी कथन ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तिगत हैं। हम इसके संबंध में किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व से इनकार करते हैं।

एलआईसी पॉलिसियों की किसी भी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट को बीमा अधिनियम, 1938, जिसमें इसकी धारा 38 भी शामिल है, के अनुसार किया जाना चाहिए। लागू कानूनों के तहत, पॉलिसियों की किसी भी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट पर कार्रवाई करने से इनकार कर सकती है, जहाँ के पास यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि ऐसी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट वास्तविक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में नहीं है या सार्वजनिक हित में है या बीमा पॉलिसी के व्यापार के उद्देश्य से है। हम सभी पॉलिसीधारकों से आग्रह करते हैं कि वे अपनी पॉलिसी पर कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी सावधानी बरतें, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा और उनके परिवार के लिए जोखिम कवर को खतरे में डाल सकता है। किसी भी प्रस्ताव का जवाब देने से पहले, कृपया हमारी शाखाओं में हमारे किसी भी अधिकारी से परामर्श करें।

राजस्थान सहित तीन राज्यों के एन.आई.ए. के छापे

जयपुर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मानव तस्करी और साइबर क्राइम मामले में शुक्रवार को राजस्थान सहित तीन राज्यों में सर्च किया। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में पांच जगहों पर एनआईए ने छापेमारी कर तलाशी ली। एनआईए सर्च के दौरान आपत्तिजनक सामग्री मिली। डिजिटल उपकरण और डॉक्यूमेंट को जब्त किया गया है।

एनआईए ने तीनों राज्यों में संदिग्ध लोगों और ट्रैवल एजेंट्स के ठिकानों पर तलाशी ली। जो एमबीके ग्लोबल वीजा प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर आरोपित बलवंत उर्फ बॉबी कटारिया से जुड़े हैं। शुक्रवार को जहां-जहां सर्च की कार्रवाई की गई। सभी बलवंत कटारिया से जुड़ी हुई हैं। एनआईए की जांच में सामने आया कि सभी संदिग्ध आरोपित मानव तस्करी के लिए लोगों को भर्ती करने और अन्य व्यवस्थाएं करवाने का काम कर रहे थे। बलवंत मानव तस्करी सिंडिकेट भारत के अंदर-बाहर, गुरुग्राम और अन्य क्षेत्रों से संचालित कर रहा है। जो लाओस में स्थित साइबर फ्रॉड कंपनी के लिए पीड़ितों की भर्ती और फिर मानव तस्करी के जरिए बाहर भेजने का काम करते है।

तीये की बैठक

हमारी पूज्यनीय माताजी
श्रीमती पुष्पा शर्मा
पत्नि स्व.श्री आर.बी. एल. शर्मा (गायत्री परिवार) का स्वर्गवास 27.06.2024 को हो गया है तीरे की बैठक 29.06.2024 को सायं 5 से 6 बजे श्री कृष्णा मन्दिर,20-दुकान , आदर्श नगर, में होगी।
शोकाकुल : दिनेश शर्मा (SBI)- निशा, हरीश शर्मा (SBBJ)- अर्चना, अशोक शर्मा (XEn RVUNL)- शीलू (पुत्र-पुत्रवधु), अनन्त-किरण, लीलांश-पुजा (पौत्र-पौत्रवधू), निकिता -प्रखर, यज्ञा-सिद्धार्थ, (पौत्री-दामाद), अनुश्री(पौत्री)

हमारी पूजनीय माताजी
श्रीमती भगवती देवी जी
धर्मपत्नी स्व. श्री रघुनाथ जी खनगवाल का स्वर्गवास 27.06.2024 को हो गया। तीये की बैठक 29.06.2024 (शनिवार) को सांय 5:30 से 6:30 बजे आदर्श विद्या मंदिर, गेट न.2, अंबाबाडी सर्किल के पास, जयपुर पर होगी।
शोकाकुल- उमाशंकर- शारदा (पुत्र-पुत्रवधू), मनीष कृतिका, शुभम- कल्पना (पौत्र- पौत्र वधू), दिव्या- राहुल जी (पौत्री-दामाद), प्रायुष (पडपौत्र), खुशविका (पडपौत्री), रिधान (पड-दोहिता), लक्ष्मण, प्रेमचंद, राजाबाबू, इंद्रसिंह, राजकिशोर, रवि (भतीजे) एवं समस्त खनगवाल परिवार। मो. 9460434361, 7665117173, 7062702541

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

विधानसभा सत्र को लेकर कंट्रोल रूम की स्थापना

जयपुर। विधानसभा के सत्र की बैठक 3 जुलाई से प्रारम्भ होगी। सत्र में प्राप्त होने वाले प्रश्नों के जवाब सही समय पर भिजवाने के लिए कलक्ट्रेट में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कंट्रोल रूम कार्यदिवस के अतिरिक्त राजकीय अवकाश के दिनों में भी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक दो पारियों में संचालित किया जाएगा।

राजस्थान आवासन मण्डल ने बेसिक रेट्स तय किये

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से प्रदेशभर में किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए एकीकृत बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स यानी -2024 तय कर दी गई है। इस -2024 का विमोचन राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष टी. रविकांत के द्वारा किया गया। अब तक राजस्थान आवासन मंडल द्वारा -2013 पर कार्य करवाए जा रहे थे। अब बाजार दरें बढ़ने के कारण मंडल द्वारा 2024 को 1 जुलाई 2024 से प्रदेशभर में लागू किया जावेगा।

राजस्थान आवासन मंडल की ओर से तय की गई के तहत बिल्डिंग वर्क्स, सेनिटरी वर्क्स, इलेक्ट्रिक वर्क्स, लिफ्ट वर्क्स, हॉर्टिकल्चर वर्क्स, रोड वर्क्स और अन्य विविध कार्य करवाए जाएंगे। 2024 की दरें बाजार दरों के अनुसार ही तय की गई हैं।

आवासन मंडल की ओर से करवाए जाने वाले कई कार्यों के लिए अब तक मार्केट रेट्स पर निर्भरता बनी रहती है। लेकिन के तय होने से अब ये निर्भरता खत्म होगी और सभी कार्य इन्हीं रेट्स के हिसाब से करवाए जा सकेंगे।

राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष टी. रविकांत ने कहा कि जिस तेजी से मंडल की ओर से आमजन को आवास उपलब्ध करवाए जाने का कार्य किया जा रहा है। उसे देखते हुए इन कार्यों में समरूपता और सुगमता लाने के लिए, तय किया जाना जरूरी है। ऐसे में इन बीएसआर से मंडल की ओर से करवाए जाने वाले सभी कार्यों में भी इसी व्यवस्था के तहत बेहतर से बेहतर और समयबद्ध रूप से कार्य होने की उम्मीद की जाती है।

इस मौके पर आवासन आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आवासन मंडल की ओर से तय किए गए सभी अभियंताओं और अधिकारियों की अथक मेहनत का परिणाम है। उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि आवासन मंडल की टीम आगे भी इसी तरह सकारात्मक परिणाम सामने लाती रहेगी।

स्पीकर वासुदेव देवनानी की लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित केन्द्रीय मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने सभी को उनके नए कार्यभार के लिए शुभकामनाएं दी। देवनानी लोकसभा अध्यक्षओम बिरला से संसद भवन में मिले। वहां उन्होंने बिरला को गुलदस्ता भेंट करते हुए उनके दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी।देवनानी ने कहा है कि बिरला का लोकसभा में लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने पर राजस्थान प्रदेशवासियों का मान और गौरव बढा है। पूरे देश में राजस्थान प्रदेश के लिये यह सम्मानजनक है।

देवनानी ने केन्द्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केन्द्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव और केन्द्रीय कानून एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल से भेंट कर उन्हें बधाई दी। केन्द्रीय मंत्रीगण सेदेवनानी की यह शिष्टाचार भेंट थी।देवनानी ने सभी को पुष्पगुच्छ और कालजयी भारतीय ज्ञान तथा विश्व गुरु भारत पुस्तकें भेंट कर उन्हें नए दायित्वों के उत्कृष्ट निर्वहन के लिए शुभकामनाएं दीं।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मकान न. 111/261, मानसरोवर, जयपुर का राजस्थान आवासन मण्डल मूल नियमितीकरण एवं अदेय पत्र क्रमांक 2911, दिनांक 26-05-2001, तथा नियमितीकरण के समय प्रस्तुत दस्तावेज़ों की रसीद जो की विनोद अग्रवाल के पक्ष में जारी किये थे, जो कि कहीं खो गए हैं जिसकी पुलिस कंप्लेंट राजस्थान पुलिस में दिनांक 27-06-2024 को एल. आर. स. 2215206/2024 पर ऑनलाइन कराई गयी है। किसी को आपत्ति हो तो 7 दिवस में संपर्क करें। बाद मियाद आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। मिले तो सूचित करें: विजया गुप्ता, 54, तरुछाया नगर, टोंक रोड, जयपुर - 9314308247

आम सूचना

No. Dr. AMWS/53/2024 दिनांक: 28/06/2024
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान की आम सभा की असाधारण बैठक 30 जून 2024 को प्रातः 11:00 बजे सोसायटी प्रांगण के बजाय SIAM ऑडिटोरियम, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर में आयोजित होगी। जिसमें सोसायटी के समस्त सदस्यों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। कार्य सूचि में 02 जून 2024 को सोसायटी की प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णयों का अनुमोदन, संविधान संशोधन समिति द्वारा प्रस्तुत "प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रारूप" व "संविधान संशोधन प्रारूप केंद्रीय कार्यसमिति पदाधिकारी समिति" द्वारा प्रस्तुत संशोधन का अनुमोदन एवं अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से शामिल है।
निवेदक- बनवारी लाल बैरवा, अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान। मो.: 9414063924

आम सूचना :- सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य मै. रेडियन इलैक्ट्रोनिक प्रा. लि. द्वारा ग्राम सावरदा तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में अवस्थित खसरा नंबर 3521/3723 रकबा 0.50 हेक्टेयर जिसके पुराने खसरा नं 3166/1 रकबा 2 बीघा भूमि अर्थात 5058.56 वर्गमीटर जो कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ स्वीकृत है को मैसर्स श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज से क्रय कर रहे हैं, इस निमित किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज 3 दिवस के भीतर सम्पर्क करें अन्यथा उक्त संपति के बेचान का निष्पादन मेरे अभिभाष्य के हक में कर दिया जावेगा, उक्त 3 दिनों की अवधि में बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति की जिम्मेदारी मेरे अभिभाष्य की नहीं होगी।
संजय मेहता, एडवोकेट
पता 51, शान्ति पथ, न्यू राजापार्क, जयपुर
मो 9529562444, 9828649555

खोया पाया

जे.डी.ए की योजना रामनगरिया विस्तार के प्लाट नं- बी-107 का जे.डी.ए. से जारी कब्जा पत्र जयपुर मे कही खो गया है सूचित करेः प्रकाश आसवानी मो. नं.- 9828922054

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 28/06/24
मेरे अभिभाष्य श्री भुपेन्द्र डी. गांधी, मुम्बई मुख्त्यारआम बलवन्त कुमार शांतिलाल शाह व अन्य के निर्देशानुसार सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में खसरा नंबर 639, 640, 642, 643, 644, 645, 649, 652, 655 कुल रकबा 2.68 हैक्टेयर भूमि बेचाने हेतु विरेन्द्र झाला नामक व्यक्तिअथवा अन्य किसी दीगर व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया है। यदि कोई व्यक्ति, संस्था, कम्पनी इत्यादी उक्त भूमि को खरीद करता है तो वह मुझसे अथवा मेरे अभिभाष्य से मिले, अन्यथा ऐसा कोई भी कृत्य उसकी निजी जोखिम होगी।
बलविन्दर सिंह बरार (एडवोकेट)
706, सोनी पेरिस पोइन्ट, बनीपार्क, जयपुर मो.9414265820

नाम परिवर्तन

मै कल्पना कृष्णीयाँ (KALPNA KRISHANIYA) मेरे शैक्षिणक दस्तावेजों में मेरा नाम कल्पना कृष्णीयाँ (KALPNA KRISHANIYA) है जो सही है मेरे पति आर्मी नंबर 3208096P नायक सुनील कुमार के आर्मी रिकॉर्ड में कल्पना कृष्णीयाँ (KALPANA KRISHANIYA) है जो कि गलत है।

I, Shreya Shah D/o Girish Shah have changed my name after marriage with Karan Boochra to Shrreya Boochra R/o Boochra House, C-38, Bhagwan Dass Road, Jaipur for all future purposes.

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id : dhejpr2.rhb@rajasthan.in, Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/435 दिनांक - 27.6.24

जाहिर आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आवास संख्या 20/177, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 324.00 वर्ग मीटर / वर्ग गज का आवंटन श्री मानसिंह देवडा पुत्र श्री मोहन लाल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 561 दिनांमक 21.01.1986 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 13.03.1986 को प्राप्त कर लिया गया था। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1160 दिनांक 18.03.1996 के द्वारा श्री मानसिंह देवडा पुत्र श्री मोहन लाल के नाम अदेय प्रमाण पत्रजारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 20.10.1996 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री मानसिंह देवडा की मृत्यु दिनांक 07.09.2011 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती बसंत कंवर पत्नी स्व. श्री मानसिंह देवडा ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण संबंधी प्रपत्र एवं वसीयतनामा प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोईआपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित/आवेदक श्रीमती बसंत कंवर पत्नी स्व. श्री मानसिंह देवडा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबंधक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 224/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री आलोक कुमार अटोलिया पुत्र श्री बाबू लाल अटोलिया निवासी 1239, श्याम कुंज, खेजरे का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर 302001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत हैप्पीनेस चैरिटेबल ट्रस्ट प्रन्यास पता प्लॉट नं.33, जनपथ श्याम नगर, जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 26.6.24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 30.8.24
मोहर अदालत
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 225/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री रामस्वरूप सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी निवासी 1-एच/344 इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर 302017 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत नीलकंठ महादेव मन्दिर ट्रस्ट प्रन्यास पता सेक्टर-1, इन्दिरा गांधी नगर, बिजली पॉवर के पास गोदावरी मार्ग, जगतपुरा, जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 26.6.24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 30.8.24
मोहर अदालत
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा (23) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 36/2018
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री डी. आर. मेहता प्रबंधक प्रन्यासी पंजीकृत प्रन्यास फाउण्डेशन हैल्थ ट्रस्ट डी/23, सी-स्कीम जयपुर जिसका पंजीयन कमांक 461 जयपुर 1976 है। प्रार्थी द्वारा पत्रावली संख्या 36/2018 में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास के प्रन्यासी के प्रन्यासी श्री शंभूदान त्याग पत्र देने के कारण उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड से हटाने तथा नवीन प्रन्यासी श्री प्रहलाद गुप्ता की नियुक्ति कर उनके नाम कार्यालय प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
पत्रावली संख्या 36/2018 में अन्तरिम पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 की अनुपालना में धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 28/6/24. को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी गया।
आइंदा तारीख पेशी 29/7/24
मोहर अदालत
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 36/2018
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री डी. आर. मेहता प्रबंधक प्रन्यासी पंजीकृत प्रन्यास फाउण्डेशन हैल्थ ट्रस्ट डी/23, सी-स्कीम जयपुर जिसका पंजीयन कमांक 461 जयपुर 1976 है। प्रार्थी द्वारा पत्रावली संख्या 36/2018 मे राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास के प्रन्यासी के प्रन्यासी श्री शंभूदान त्याग पत्र देने के कारण उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड से हटाने तथा नवीन प्रन्यासी श्री प्रहलाद गुप्ता की नियुक्ति कर उनके नाम कार्यालय प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
पत्रावली संख्या 36/2018 में अन्तरिम पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 की अनुपालना मे धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 28/6/24. को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी गया।
आइंदा तारीख पेशी 29/7/24
मोहर अदालत
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर